

टाटा आयरन और स्टील कंपनी। लिमिटेड।

बनाम

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त, भुवनेश्वर, ओडिशा

फरवरी 16, 2000

[एस. पी. भरुचा, आर. सी. लाहोटी और श्रीमती रुमा पाल, जे. जे.]

सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 1988:

नियम 9 (1) (बी) और (ई)-आयातित वस्तुओं का मूल्यांकन-तीन अनुबंधों के आधार पर इंजीनियरिंग दस्तावेजों के साथ उपकरण आयातित किए गए। तृतीय अनुबंध में उपकरण एवं इंजीनियरिंग दस्तावेजों सहित संपूर्ण मूल्य के बारे में लिखा गया-प्रोजेक्ट आयात पर रियायती चुंगी एवं इंजीनियरिंग दस्तावेजों पर कोई चुंगी नहीं। कारण बताएं नोटिस जारी किया गया एवं इंजीनियरिंग दस्तावेजों के साथ उपकरण का मूल्यांकन किया गया। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में जुर्माने के भुगतान और बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर माल छोड़ने का आदेश किया गया-नया कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया और शुल्क और जुर्माने के भुगतान के लिए एक और आदेश पारित किया गया। अपीलीय ट्रिबिनल ने निर्धारित किया कि, तीन अनुबंध एक पैकेज का हिस्सा होंगे जिनमें उपकरण के मूल्यों में ही इंजीनियरिंग दस्तावेजों का मूल्य शामिल है। अपील में निर्धारित किया गया कि दस्तावेजों का मूल्य न तो चुंगी योग्य है, न ही

उपकरणों के मूल्य में समायोजित होने योग्य है-प्रकरण को यह निर्धारित करने के लिए रिमांड किया गया कि आया उपकरण कम मूल्यांकित थे। न्यायाधिकरण द्वारा दोषमुक्त किए गए लोगों के खिलाफ कार्यवाही पुनः नहीं खोली जा सकती थी-परियोजना आयात विनियम, 1986-सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 -उपशीर्षक सं. 4906.00।

नियम 9 (1) (बी) (ii) से (iv)-प्रायोज्यता-निर्धारित किया गया कि यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति खरीदार द्वारा विक्रेता को निःशुल्क या कम कीमत पर आयातित वस्तुओं के उत्पादन एवं विक्रय के उपयोग के संबंध में की जाती है तो प्रयोजित उस सीमा तक होगी कि ऐसा मूल्य वास्तविक रूप से अदा की गयी अथवा होने वाली रकम में शामिल नहीं था।

नियम 9 (1) (ई)-प्रयोज्यता-तीसरे पक्षकार के प्रति विक्रेता का दायित्व, विक्रेता को ही निभाना होगा एवं क्रेता द्वारा विक्रेता को अथवा तृतीय पक्षकार को भुगतान करना पूर्ववर्ती शर्त होगी-निर्धारित किया गया कि जहाँ शर्त संतुष्ट नहीं की गयी और इंजीनियरिंग दस्तावेजों के साथ उपकरण आयात किए गए, दोनों का मूल्य एकसाथ जोड़ा नहीं जा सकता

नियम-4 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी-प्रयोज्यता-निर्धारित किया गया कि, उपधारा (ए) से (सी) के तहत शुल्क का मूल्य कवर नहीं किया गया हो, वह आयातित उपकरणों के मूल्य में शामिल नहीं किया जा सकता

है-जहां इंजीनियरिंग दस्तावेजों की कीमत अलग से भुगतान की गई थी, नोट को सेवा में नहीं दबाया जा सकता है-दस्तावेजों और चित्रों आदि का मूल्य आयातित वस्तुओं के "निर्माण, परिनिर्माण, संयोजन आदि" की नहीं हो सकती, क्योंकि ये सभी पृथक अनुबंध के तहत कवर किए गए थे।

अपीलकर्ता कंपनी ने विक्रता के साथ एक प्रोटोकॉल पर यह कहते हुए कि कुल कीमत में उपकरणों की कीमत भी शामिल होगी, हस्ताक्षर करने के बाद अपने चित्रों एवं इंजीनियरिंग दस्तावेजों के साथ कुछ उपकरणों का आयात किया। तीन अनुबंध किए गए (1) 12.5 मिलियन डी.एम.(एम.डी. 301) की कीमत पर तकनीकी दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए समझौता, (2) 13.5 मिलियन डी. एम. की कीमत पर उपकरणों की बिक्री के लिए समझौता (एम. डी.302) और (3) एक समग्र बिक्री अनुबंध जो कुल मूल्य 26 मिलियन पर फिर से उद्धृत किया गया है।

अपीलार्थी ने परियोजना आयात के लिए शुल्क की रियायती दर का लाभ उठाने के लिए परियोजना आयात विनियम 1986 के तहत अनुबंध एम. डी. 301 पंजीकृत कराया। तकनीकी दस्तावेजों वाली खेप आई और इसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के उप-शीर्षक संख्या 4906.00 के तहत वर्गीकृत किया गया था, जो शून्य शुल्क के लिए आकलन योग्य था। अनुबंध एम. डी. 302 के तहत पहली खेप भी आई जिसे 60,75,000

FOB के घोषित मूल्य के शुल्क के भुगतान पर अस्थायी मूल्यांकन के बाद मंजूरी दे दी गई।

दूसरी खेप को भी मंजूरी दी गई। एक कारण बताओ नोटिस, इस बारे में जारी किया गया कि अनुबंध एम. डी.301 में निहित वस्तुओं, जिनमें की तकनीकी दस्तावेज शामिल हैं, को अनुबंध एमडी 302 के तहत वस्तुओं के मूल्य में क्यों शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की और 8 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी एवं मांगे गए एवं स्वीकृत सीमाशुल्क से कम अतिरिक्त शुल्क के साथ अदा करने पर सामान को छोड़ने का आदेश दिया गया।

अपीलार्थी कंपनी, इसके दो अधिकारी एवं इंजीनियरिंग सलाहकार को एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। शास्ति के साथ 15,49,09,060 रुपये पर सीमा शुल्क का आकलन करते हुए आदेश पारित किया गया था। नोटिसों में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष नोटिस की अपील की गई, जिसने निर्धारित किया कि तीनों अनुबंध एक पैकेज के हिस्से हैं। इसने निर्धारित किया कि आयातित उपकरणों से संबंधित तकनीकी दस्तावेज उपकरणों के मूल्य में समायोजन योग्य थे, यद्यपि सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 1988 के नियम 4 के व्याख्यात्मक नोट के संदर्भ से खरीदे या

निर्मित या आयात के बाद की गतिविधियों जैसे संयोजन, निर्माण और संचालन से संबंधित उपकरणों के दस्तावेजात को सीमा शुल्क के भुगतान से बाहर रखा जा सकता है। हालांकि यह लाभ अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराया गया था, चूंकि अलग-अलग मूल्य नहीं दिखाए गए थे और दोनों अनुबंध समायाेजित किए गए। इसलिए यह अपील की गई है।

इस अपील को अनुमति देते हुए, इस न्यायालय ने

अभीनिर्धारित: 1.1. सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 1988 के नियम 9 (1) (बी) उस चार विशिष्ट वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को संदर्भित करता है, जो क्रेता द्वारा विक्रेता को निर्माण एवं आयातित वस्तुओं के विक्रय के संबंध के उपयोग के लिए बिना किसी शुल्क के या कमतर मूल्य के लिए आपूर्त किए गए एवं इस स्तर तक कि एेसे मूल्य में वास्तव में अदा की गई अथवा अदा होने वाली कीमत शामिल नहीं की गयी हो।

[888 – सी]

1.2. खरीदार ने उत्पादन और बिक्री के संबंध में उपयोग के लिए किसी भी वस्तु या सेवाओं की मुफ्त या कम लागत पर आपूर्ति नहीं की थी। न्यायाधिकरण द्वारा अनुबंध डी. एम. 301 की विषय वस्तु को बनाने वाले दस्तावेजों का परीक्षण करने वाली सभी मेहनत आवश्यक नहीं थी।

[888 -ई]

2. विक्रेता का किसी तीसरे पक्ष के प्रति कोई दायित्व नहीं था, जिसे उसके द्वारा संतुष्ट किया जाना आवश्यक था और अपीलार्थी ने ऐसे दायित्व को पूरा करने के लिए विक्रेता या किसी तीसरे पक्ष को कोई भुगतान नहीं किया था। अनुबंध डी. एम. 301 की विषय वस्तु बनाने वाले चित्र और तकनीकी दस्तावेजों के लिए अपीलार्थी द्वारा भुगतान की गई कीमत किसी भी तरह से किसी तीसरे पक्ष के लिए "विक्रेता के दायित्व" के अर्थ में नहीं आ सकती है। आयातित वस्तुओं की बिक्री की शर्त के रूप में भी कोई भुगतान नहीं किया गया था और इस तरह नियम 9 (1) (ई) भी लागू नहीं होता है। [889 -सी]

3.1. व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ नियमों का हिस्सा हैं और वैधानिक हैं। नियम 4 के व्याख्यात्मक टिप्पणी का वह हिस्सा जिस पर न्यायाधिकरण ने भरोसा किया है, एक नकारात्मक रूप में जोड़ा गया है और एक परंतुक के साथ है, जिसका अर्थ है कि उपधारा (ए) से (सी) में वर्णित शुल्क या कीमत आयातित वस्तुओं के मूल्य में शामिल नहीं की जानी चाहिए, जबकि यह आवश्यकता संतुष्ट कर दी गयी हो कि शुल्क मूल्य जो वास्तव में अदा किया गया या आयातित वस्तुओं के लिए किया जाना था, से अलग करने योग्य थे। इस भाग को इस अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता है कि वे शुल्क जो उपधारा (ए) से (सी) में शामिल नहीं हैं, आयातित वस्तुओं के मूल्य में शामिल किए जाने के लिए उपलब्ध हैं। [889 -डी-ई]

3.2. यह व्याख्यात्मक टिप्पणी को किसी भी चित्र आर तकनीकी दस्तावेजों की कीमत की गणना करने की सेवा में नहीं लगाया जा सकता है, फिर चाहे उन्हें आयातित उपकरण की कीमत में शामिल करके अलग से भुगतान किया गया हो। नियम 4 के नोट के तीसरे मद का खंड (ए) विक्रेता द्वारा आयातित वस्तुओं निर्माण, परिनिर्माण आदि के लिए दी गयी सेवाओं के शुल्क के लिए संकेत है। दस्तावेजों आर चित्रों आदि का मूल्य आयातित वस्तुओं के "निर्माण, परिनिर्माण, संयोजन आदि का शुल्क" नहीं हो सकता।[889 - एच]

3.3. खरीदार आयातक को दिए गए चित्र और दस्तावेज आयातित वस्तुओं के निर्माण, परिनिर्माण, संयोजन, रखरखाव आदि के दौरान के उपयोग के लिए दिए गए थे, अपीलार्थी द्वारा आयात पश्चात गतिविधियों के लिए वे संबंधित थे। इस तरह के शुल्क एक अलग अनुबंध द्वारा कवर किए जाते थे क्योंकि उन्हें आयातित वस्तुओं के मूल्य में केवल इसलिए शामिल नहीं किया जा सकता था क्योंकि आयातित उपकरणों और सामग्रियों के लिए संदर्भित दस्तावेजों का मूल्य उन दस्तावेजों के मूल्य के साथ मिलाया गया था जो खरीदे जाने या आयात किए जाने वाले उपकरणों के लिए संदर्भित थे। बाद की श्रेणी के दस्तावेजों का मूल्य न तो देय है और न ही आयातित वस्तुओं के मूल्य के साथ जोड़ा जा सकता है। [890 -ए-बी]

4. न्यायाधिकरण के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। मामला न्यायाधिकरण को राजस्व की याचिका पर विचार करने और जांच करने के लिए वापस भेजा जाता है कि अनुबंध डी. एम. 302 का रिकॉर्ड पर पहले से उपलब्ध सामग्री पर कम मूल्यांकन किया गया है। न्यायाधिकरण उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही को फिर से नहीं खोलेगा जिन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था और कोई अपील दायर नहीं की गई थी। उपकरण का देय मूल्य निर्धारित जुर्माने की राशि के साथ न्यायाधिकरण द्वारा किए गए मूल्यांकन से अधिक नहीं होगा क्योंकि दोनों को राजस्व द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। यदि अनुबंध डी. एम. 302 की विषय वस्तु बनाने वाले उपकरण कम मूल्यवान पाए जाते हैं तो जब्त करने जैसे कानूनी परिणाम सामने आ सकते हैं। [891 -ई-एफ; 892-डी]

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 96/ 1998.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलिय न्यायाधिकरण, कलकत्ता, के निर्णय और आदेश दिनांकित 20.8.97 अंतर्गत ए. नं. सी/वी-78/96-एफ. ओ. सं. 1031/कैल/1997 से।

हरीश एन. साल्वे, जोसेफ वेल्लापल्ली, अशोक देसाई, रविंदर नारायण, अशोक सागर, सुश्री इप्सिता, सुश्री पद्मिनी कुमारी, संजीव सेन, डी. एन. मिश्रा और सुश्री अमिता मित्रा अपीलार्थी की ओर से।

के. एन. रावल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, दिलीप टंडन, पी. परमेशवरन,

हेमंत शर्मा और वी. के. वर्मा प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश आरसी लाहोटी द्वारा दिया गया था

हमारे सामने के अपीलकर्ता, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (संक्षेप में टिस्को) ने पुर्तगाल सरकार के उपक्रम साइडरुगिया नेशनल ऑफ पुर्तगाल से कुछ उपकरण और चित्र और इंजीनियरिंग दस्तावेज आयात किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 1981 में कुछ समय के लिए इटालिंपिएंटी, जेनेवो, इटली ने पुर्तगाल में रोलिंग मिल परियोजना स्थापित करने के लिए साइडरुगिया नेशनल पुर्तगाल (इसके बाद संक्षेप में एसएनपी) को सामग्री, डिजाइन और इंजीनियरिंग ड्राइंग आदि की आपूर्ति की। आपूर्ति में ब्लास्ट फर्नेस, एलडी कनवर्टर, स्टील प्लांट बेलेट कैस्टर, वायर रॉड मिल, टारपीडो लैडल कार आदि के उपकरण शामिल थे। हालांकि, उपकरण स्थापित होने से पहले, पुर्तगाल ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) में शामिल होने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप पुर्तगाल अपनी इस्पात निर्माण क्षमता का विस्तार नहीं कर सका, एसएनपी ने अपनी निवेश योजना को रद्द करने और उन उपकरणों और सामग्रियों को बेचने का फैसला किया जो 1981 से 1986 तक अप्रयुक्त पड़े थे। 14 अप्रैल, 1988 को विक्रेता और क्रेता कंपनियों (एसएनपी एवं टिस्को) के बीच एक

प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षरित हुआ। जो अन्य के साथ यह भी कहता था कि कुल कीमत उपकरण की कीमत और इंजीनियरिंग एफओबी पुर्तगाल-लिस्बन बंदरगाह की कीमत के बराबर होगी। एसएनपी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले उपयुक्त समुद्र-योग्य पैकिंग वाले उपकरण की कीमत 13.5 मिलियन डॉयचे मार्क्स (डीएम) होगी और इंजीनियरिंग के लिए कीमत 12.5 मिलियन डॉयचे मार्क्स होगी। प्रोटोकॉल में यह भी प्रावधान किया गया है कि उपकरण बिना किसी परिचालन के प्रदर्शन गारंटी पर और "जैसा है जहां है" स्थिति में बेचा जा रहा था। इसके बाद 11 अक्टूबर, 1989 को पार्टियों के बीच निम्नानुसार तीन अनुबंध किए गए: -

1. तकनीकी दस्तावेज की आपूर्ति के लिए समझौता -जिसे एमडी 301 कहा जाता है।
2. उपकरणों और सामग्रियों की बिक्री के लिए समझौता (ब्लास्ट फर्नेस और तीन टारपीडो लैंडल कारों के उपकरणों का हिस्सा) -जिसे एमडी 302 कहा जाता है।
3. एक समग्र बिक्री अनुबंध, एक व्यापक अनुबंध होने के नाते, संविदात्मक संबंध स्थापित करने के लिए एवं उपकरणों के बिक्री एवं तकनीकी दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए शर्तें निर्धारित करने के लिए उपरोक्त दोनों इकरारनामों को कवर करता है।

समग्र बिक्री अनुबंध में 26 मिलियन डीएम की कुल कीमत बताई गई और इसे दो भागों में विभाजित किया गया, अर्थात् तकनीकी दस्तावेजीकरण के लिए 12.5 मिलियन डीएम और उपकरणों और सामग्रियों के लिए 13.5 मिलियन डीएम। पहले के दो समझौतों में क्रमशः 12.5 मिलियन डीएम और 13.5 मिलियन डीएम की बात कही गई थी। इस प्रकार दिनांक 14.4.88 के प्रोटोकॉल में बताई गई कीमतें अपरिवर्तित रहीं

अपीलकर्ता ने सीमा शुल्क हाउस, पारादीप के साथ परियोजना आयात विनियमों के तहत अपने अनुबंध एमडी 302 के पंजीकरण की मांग की, जिससे उसे परियोजना आयात के लिए शुल्क की रियायती दर का लाभ उठाने का अधिकार मिल गया।

अनुबंध एमडी 301 के तहत कवर किए गए तकनीकी दस्तावेजों, इंजीनियरिंग आदि से युक्त खेप कलकत्ता पहुंची और अप्रैल-मई, 1990 के महीनों में कलकत्ता सीमा शुल्क हाउस द्वारा मंजूरी दे दी गई। अपीलकर्ता द्वारा दावा किया गया था कि खेप को कस्टम टैरिफ एक्ट, 1985 के उपशीर्षक नंबर 4906.00 के तहत वर्गीकृत होने से शून्य शुल्क निर्धारण योग्य है।

अनुबंध एमडी 302 के तहत पहली खेप पोर्ट पारादीप पहुंची और बिल ऑफ एंट्री दिनांक 6.4.90 के तहत मंजूरी दे दी गई। सामान की कीमत डीएम 60,75,000 एफओबी दिखाई गई। माल का प्रावाधिक

मूल्यांकन किया गया और घोषित मूल्य पर शुल्क के भुगतान पर निकासी की अनुमति दी गई। इस अनुबंध के तहत दूसरी खेप भी पारादीप बंदरगाह पर पहुंची। प्रविष्टि बिल दिनांक 7.7.90 दायर किया गया था, जिसमें मूल्य 6,75,739 डीएम बताया गया था। इस बीच विभाग ने खुफिया जानकारी जुटाई और एक राय बनाई कि परियोजना आयात विनियम के तहत पंजीकृत अनुबंध एमडी 302 वास्तव में उसी तारीख के एक अन्य अनुबंध का उप-अनुबंध था और उसका मूल्य 26 एमडीएम था। सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर, पारादीप ने दिनांक 7 जुलाई, 1990 को संचार के माध्यम से अपीलकर्ता को विदेशी आपूर्तिकर्ता के साथ पत्राचार, आयात लाइसेंस की प्रति आदि सहित सभी दस्तावेज जमा करने के लिए कहा। अपीलकर्ता ने चाहे गए दस्तावेज जिसमें कि एमडी301 अनुबंध की प्रति शामिल थी, जमा करवाए। सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर और अपीलकर्ता के बीच पत्राचार का आदान-प्रदान हुआ और अपीलकर्ता ने पालन किया। 16 जुलाई, 1990 को सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर, पारादीप ने अपीलकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें यह बताने के लिए कहा गया कि आयातित वस्तुओं के कम मूल्यांकन के परिणामतः होने वाले दूसरे नतीजों के साथ अनुबंध एमडी 301 द्वारा कवर किए गए माल के मूल्य के रूप में 12.5 एमडीएम की राशि को अनुबंध 302 के तहत आयातित वस्तुओं के निर्धारणीय मूल्य के निर्धारित करने में

क्यों शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दिनांक 10.8.90 के आदेश के तहत सहायक कलेक्टर ने 7,44,80,300/-रुपये की बैंक गारंटी और 2,82,01,636 रुपये की अतिरिक्त शुल्क जमा करने के साथ-साथ स्वीकृत सीमा शुल्क का भुगतान करने पर माल की निकासी की अनुमति दी

अपीलकर्ता ने कारण बताओ नोटिस और दिनांक 10.8.90 के आदेश द्वारा उठाई गई मांग को चुनौती देते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। 30.8.1990 को, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 8 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने और मांगी गयी अतिरिक्त शुल्क को 1 करोड़ कम कर, स्वीकृत सीमा शुल्क के भुगतान के साथ अतिरिक्त शुल्क जमा करने की शर्त पर माल जारी करने का निर्देश देने वाली रिट याचिका का निपटारा किया। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया और माल को मंजूरी दे दी।

अपीलकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का जवाब भी दाखिल किया। सहायक कलेक्टर द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई की गई। 23.8.1993 को सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भुवनेश्वर के आयुक्त ने अपीलकर्ता और उसके दो अधिकारियों और अपीलकर्ता के इंजीनियरिंग सलाहकार को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया। जवाब दाखिल किये गये। 30 अप्रैल, 1996 को सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भुवनेश्वर के आयुक्त ने 15,49,09,060/-रुपये पर सीमा शुल्क लगाने का आदेश पारित किया।

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 112 के तहत अपीलकर्ता पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

अन्य नोटिस प्राप्तकर्ताओं पर भी जुर्माना लगाया गया। अपीलकर्ता और अन्य नोटिस प्राप्तकर्ताओं ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील न्यायाधिकरण, कलकत्ता के समक्ष अपील की, जिनका एक सामान्य आदेश द्वारा निपटारा कर दिया गया है। न्यायाधिकरण ने माना है कि विक्रेता, यानी एसएनपी और अपीलकर्ता के बीच किए गए तीन अनुबंध वास्तव में एक पैकेज के हिस्से थे, यानी तीनों ने एक समग्र समझौता किया। अपीलकर्ता को प्रदान किए गए तकनीकी दस्तावेज को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: (i) आयातित उपकरण से संबंधित, (ii) उस उपकरण से संबंधित जो अभी तक अपीलकर्ता द्वारा खरीदा या निर्मित किया जाना था, और (iii) वे जो अपीलकर्ता द्वारा आयातित उपकरणों की संयोजन, निर्माण, परिनिर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए आयात पश्चात की गतिविधियों से संबंधित हैं। उपरोक्त (i) की सीमा तक अनुबंध का मूल्य अपीलकर्ता द्वारा आयातित उपकरणों और सामग्रियों के मूल्य में शामिल होने के लिए उत्तरदायी था, हालांकि सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 1988 (इसके बाद संक्षेप में नियम) के नियम 4 के व्याख्यात्मक नोट के संदर्भ में सीमा शुल्क के भुगतान के लिए उपरोक्त (ii) और (iii) द्वारा कवर किए गए तकनीकी दस्तावेजों के

मूल्य को बाहर रखा जा सकता था। चूंकि अलग-अलग मूल्य नहीं दिखाए गए हैं, ऊपर बताए गए नियम 4 के व्याख्यात्मक नोट का लाभ अपीलकर्ता को उपलब्ध नहीं था और सीमा शुल्क लगाने के उद्देश्य से दोनों अनुबंधों का पूरा मूल्य एक साथ जोड़ा जा सकता था। न्यायाधीकरण के आदेश के कुछ निष्कर्ष को शब्दशः निकालना और पुनः प्रस्तुत करना न्यायोचित होगा-

"पहले अपीलकर्ता की स्वयं की स्वीकारोक्ति पर, यह उल्लेख करना उचित है कि जहां एसएन द्वारा एक वस्तु की आंशिक रूप से आपूर्ति की गई है और आंशिक रूप से आपूर्ति नहीं की गई है, इस हेतु आंशिक रूप से आपूर्ति न होने के तकनीकी दस्तावेज प्रदान किये गये हैं। चूंकि तकनीकी दस्तावेज किसी वस्तु के लिए आम होते हैं इसलिये यह वस्तुओं का सम्पूर्ण उद्देश्य पूरा करते हैं। इस तरीके से, पहले अपीलकर्ता को पर्याप्त संख्या में आयातित वस्तुओं के निर्माण के लिए तकनीकी दस्तावेज मिल गए हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं को प्रदान किए गए तकनीकी दस्तावेज दोनों से संबंधित हैं-(i) आयातित उपकरण से संबंधित हैं। (ii) उपकरण जो अपीलकर्ताओं द्वारा अभी तक खरीदा या निर्मित नहीं किया गया था। इसमें (iii) तकनीकी दस्तावेज जो की आयातित उपकरणों की असेंबली निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए आयात के बाद की गतिविधियों से संबंधित हैं, भी शामिल हो

सकते हैं। यदि मान अनुबंध एमडी 301 या चालान में दस्तावेज (ii) या (iii) का मूल्य अलग से दिखाया गया है तो उक्त मूल्य को कुल में से बाहर रखा जा सकता है। चूंकि अलग-अलग मूल्य नहीं दिखाये गये हैं इसलिये विद्वान अधिवक्ता डॉ॰ चक्रवृति द्वारा प्रस्तावित मूल्यांकन नियम के नियम 4 के व्याख्यात्मक नोट को दृष्टिगत नहीं रखा जा सकता। इसलिये तकनीकी दस्तावेज के 12.5 मिलियन डीएम के पूरे मूल्य को बीई और टीएलसी के उपकरण के मूल्य (13.5 मिलियन डीएम) में शामिल करना होगा।" [पैरा 6.2.11]

"अपीलकर्ता के वकील का यह दावा कि ये अलग अनुबंध हैं तर्कसंगत नहीं है। 'कीमत' से संबंधित अनुच्छेद 2 और उसके खंड 1 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "वर्तमान अनुबंध के बिक्री दायरे की कुल कीमत तय है और किसी भी संशोधन के अधीन नहीं है और डीएम-26 मिलियन की राशि 13.5 मिलियन और 12.5 मिलियन डीएमएस में विभाजित हैं। इस प्रकार 26 मिलियन डीएम जाे की कुल कीमत है जो अनुबंध में महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 3 यह अनुबंध करने वाले दोनों पक्षों के लिए

बाध्यकारी है कि उनमें से कोई भी दूसरे पक्ष की पूर्व
लिखित सहमति के

बिना अपनी संविदात्मक स्थिति को पूरी तरह या आंशिक रूप से, या तो मुफ्त में या गैरमुफ्त रूप से स्थानांतरित नहीं करेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता दूसरे पक्ष यानी एसएन पुर्तगाल की लिखित सहमति के बिना, चाहें तो भी, तकनीकी दस्तावेजों की आपूर्ति के अनुबंध से पीछे नहीं हट सकते। ये तथ्य उपकरणों और सामग्रियों की खरीद के साथ-साथ किसी भी प्रकृति के तकनीकी दस्तावेजों की खरीद में मजबूरी के तत्व को सामने लाते हैं। यह तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण, मूल्यांकन नियम 1988 के नियम 9 (1)(ई) के प्रावधान लागू होते हैं। नियम 9 के उप-नियम (1) के खंड (ई) में खरीदार द्वारा विक्रेता को आयातित माल की बिक्री की शर्त के रूप में वास्तव में किए गए या किए जाने वाले सभी अन्य भुगतान जोड़ने की परिकल्पना की गई है....."। इसलिए, पूरे 26 मिलियन डीएम को उपकरणों और सामग्रियों के मूल्य के रूप में लेना होगा।" [पैरा6.3.III]

पैरा 10.4 के माध्यम से ऊपर बताए गए निष्कर्षों के बावजूद, न्यायाधिकरण ने कहा है कि हालांकि उसकी राय में उपकरणों का मूल्य संपूर्ण अनुबंध मूल्य 26 मिलियन डीएम होगा, जबकि 21.2747826086 मिलियन डीएम की तुलना में निर्णायक अधिकारी ने गणना की, जैसा कि उनके आदेश के साथ संलग्न अनुलग्नक 1 में बताया गया है, क्योंकि केवल टिस्को ने इसके खिलाफ अपील की थी और राजस्व ने कोई अपील दायर नहीं करने का विकल्प चुना था। अपीलकर्ता को इससे बदतर स्थिति में नहीं डाला जा सकता अगर उसने अपील दायर नहीं की होती और इसलिए अपीलकर्ता की शुल्क देनदारी को उपकरण के मूल्य 21.2747826086 मिलियन डीएम तक ही सीमित रहना होगा जैसा कि न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पाया गया है। मात्रा न्यायाधिकरण द्वारा अपीलकर्ता पर लगाए गए जुर्माने की राशि को 5 करोड़ रुपये से घटाकर 4 करोड़ रुपये कर दिया गया। अन्य नोटिस प्राप्तकर्ताओं पर लगाए गए जुर्माने को निरस्त कर दिया गया। अपीलकर्ता सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 130 ई के तहत यह अपील दायर करके इस न्यायालय में आया है।

हमने अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अशोक देसाई और प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री किरीट रावल को सुना है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि न्यायाधिकरण के विवादित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसलिए इसे रद्द किया जाना

चाहिए और इसके बाद पुनः भेजा जाना चाहिए ताकि सीमा शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी सामान के मूल्य का आकलन किया जा सके और उसके बाद किसी भी कारण से जो यहां बताए गए हैं, शुल्क और जुर्माने की मात्रा निर्धारित की जा सके।

न्यायाधिकरण के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि यह अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य रूप से तर्क के दो आधारों पर आगे बढ़ा है। सबसे पहले, न्यायाधिकरण ने नियम 9(1)(बी)(iv) की प्रयोज्यता की जांच की है और एक राय बनाई है कि इसका लाभ अपीलकर्ता को उपलब्ध नहीं था। नियम 4 के व्याख्यात्मक नोट के संदर्भ में यह माना गया है कि जिस हद तक चित्र और तकनीकी दस्तावेज आयातित उपकरणों के निर्माण और बिक्री के लिए संदर्भित थे, उनका मूल्य आयातित उपकरणों और सामग्री के मूल्य में शामिल होने के लिए उत्तरदायी था और चूंकि उसके अलग-अलग मूल्य नहीं दिखाए गए हैं, अनुबंध डीएम 301 द्वारा कवर किए गए तकनीकी दस्तावेज के 12.5 मिलियन डीएम का पूरा मूल्य उपकरणों के मूल्य में शामिल होने के लिए उत्तरदायी था। दूसरे, न्यायाधिकरण ने नियम 9(1)(ई) के प्रावधानों को इस तर्क के आधार पर आयातित उपकरणों और सामग्रियों के मूल्यांकन को निर्धारित करने के उद्देश्य से आकर्षित और लागू माना है कि चित्र और इंजीनियरिंग अपीलकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से खरीदे जाने योग्य थे।

उपकरण और सामग्री के साथ और इसलिए दोनों का मूल्य एक साथ जोड़ा जाने योग्य था। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अशोक देसाई ने न्यायाधिकरण द्वारा नियोजित तर्क की शुद्धता पर जोरदार हमला किया है और प्रस्तुत किया है कि न्यायाधिकरण नियमों की व्याख्या करने और उसके तहत मामले का फैसला करने में पूरी तरह से गलत हो गया है। श्री अशोक देसाई द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि न्यायाधिकरण द्वारा नियमों पर दी गई व्याख्या सही नहीं है। हम अब तक के विवाद की सत्यता का परीक्षण करेंगे।

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 प्रभारी धारा है। धारा 14 किसी भी सामान पर उसके मूल्य के संदर्भ में सीमा शुल्क वसूलने का प्रावधान करती है। धारा 156 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) नियम, 1988 तैयार किया है। नियम 2 का खंड (एफ) "लेनदेन मूल्य" को नियम 4 के अनुसार निर्धारित मूल्य के रूप में परिभाषित करता है। नियम 3 के तहत या तो आयातित माल का मूल्य लेनदेन मूल्य होगा या यदि इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो इसे नियम 5 से 8 के माध्यम से क्रमिक रूप से आगे बढ़ाकर निर्धारित किया जाएगा। नियम 4 में प्रावधान है कि आयातित माल का लेनदेन मूल्य भारत में निर्यात के लिए बेचे जाने पर माल के लिए वास्तव में भुगतान

की गई या देय कीमत होगी, जिसे नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया जाएगा। नियम 9 के तहत, कुछ लागत का मूल्य या कीमत और सेवाओं को आयातित वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते समय लेनदेन मूल्य में जोड़ा जा सकता है। नियम 9, जहां तक प्रासंगिक है और जिस सीमा तक न्यायाधिकरण द्वारा संदर्भित किया गया है, निम्नानुसार उन्हें उद्धरित एवं प्रस्तुत किया गया है: -

9. लागत और सेवाएँ (1) लेनदेन मूल्य निर्धारित करने में, आयातित माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत को भी जोड़ा जाएगा, -

XXX

XXX

XXX

(बी) आयातित वस्तुओं के निर्यात के लिए उत्पादन और बिक्री के संबंध में उपयोग के लिए खरीदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुफ्त या कम लागत पर आपूर्ति की जाने वाली निम्नलिखित वस्तुओं और सेवाओं का उचित रूप से विभाजित मूल्य, इस हद तक कि ऐसा मूल्य वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत में शामिल नहीं किया गया है: वह वस्तुएँ हैं -

(i) आयातित वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री, घटक, हिस्से और समान;

(ii) आयातित वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, डाई, सांचे और समान वस्तुएं;

(iii) आयातित वस्तुओं के उत्पादन में उपभोग की जाने वाली सामग्री;

(iv) इंजीनियरिंग, विकास, कला कार्य, डिजाइन कार्य, और योजनाएं और रेखाचित्र जो कि भारत के अलावा कहीं और किए गए हैं और आयातित वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं;

XXX

XXX

XXX

(ई) आयातित माल की बिक्री की शर्त के रूप में खरीदार द्वारा विक्रेता को, या खरीदार द्वारा किसी तीसरे पक्ष को विक्रेता के दायित्व को पूरा करने के लिए इस तरह के भुगतान की सीमा तक वास्तव में किए गए या किए जाने वाले अन्य सभी भुगतान वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत में शामिल नहीं हैं।

XXX XXX XXX

(3) वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक डेटा के आधार पर इस नियम के तहत वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत में वृद्धि की जाएगी।

(4) इस नियम में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर आयातित माल के मूल्य का निर्धारण करने में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

[जोर दिया गया]

न्यायाधिकरण द्वारा व्याख्यात्मक नोट्स का संदर्भ भी दिया गया है। नियम 12 में प्रावधान है कि इन नियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट व्याख्यात्मक नोट्स इन नियमों की व्याख्या के लिए लागू होंगे। नियम 4 का नोट इस प्रकार है:-

नियम 4 का नोट-

भुगतान वास्तव में किया गया अथवा किया जाने योग्य-

वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत खरीददार द्वारा आयातित माल के लिए विक्रेता को या उसके लाभ के लिए किया गया या किया जाने वाला कुल भुगतान है। जरूरी नहीं है कि भुगतान किया गया धन हस्तांतरण का रूप ले। भुगतान साख पत्र या परक्राम्य लिखतों के माध्यम से किया जा सकता है। भुगतान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष भुगतान का एक उदाहरण खरीददार द्वारा विक्रेता पर बकाया ऋण का पूर्ण या आंशिक रूप से किया गया समझौता हो सकता है।

खरीददार द्वारा स्वयं से की गई गतिविधियाँ, जिनके लिए नियम 9 में समायोजन प्रदान किया गया है, को छोड़कर, विक्रेता को अप्रत्यक्ष

भुगतान नहीं माना जायेगा, भले ही वह विक्रेता के लिए लाभकारी हो। इसलिए, ऐसी गतिविधियों की लागत को आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करने में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत में नहीं जोड़ा जाएगा।

आयातित वस्तुओं के मूल्य में निम्नलिखित शुल्क या लागत शामिल नहीं होंगे, बशर्ते कि वे आयातित वस्तुओं के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत से अलग हों:

(ए) औद्योगिक संयंत्र, मशीनरी या उपकरण जैसे आयातित माल पर आयात के बाद किए गए निर्माण, संयोजन, रखरखाव या तकनीकी सहायता के लिए शुल्क;

(बी) आयात के बाद परिवहन की लागत;

(सी) भारत में शुल्क और कर।

वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत आयातित वस्तुओं की कीमत को संदर्भित करती है। इस प्रकार खरीदार से विक्रेता तक लाभांश या अन्य भुगतान का प्रवाह जो आयातित माल से संबंधित नहीं है, सीमा शुल्क मूल्य का हिस्सा नहीं है।

[जोर दिया गया]

नियम 9(1)(बी) को पढ़ने मात्र से दर्शित होता है कि यह उत्पादन एवं विक्रेता को आयातित वस्तुओं के विक्रय के संबंध में उपयोग के लिए खरीदार द्वारा मुफ्त या कम लागत पर आपूर्ति की गई चार निर्दिष्ट वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को संदर्भित करता है एवं इस हद तक कि ऐसा मूल्य वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत में शामिल नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, विक्रेता ने एक डिज़ाइन के उपकरणों का निर्माण किया होगा, जिसके चित्र खरीदार द्वारा विक्रेता के देश में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी को नियुक्त करके उपलब्ध कराए गए थे। यद्यपि विक्रेता ने अपने द्वारा निर्मित उपकरण के तकनीकी/इंजीनियरिंग डिजाइन पर कोई खर्च नहीं किया है, फिर भी इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग को सुरक्षित करने के लिए भुगतान की गई कीमत निर्मित उपकरण के मूल्य का एक घटक होगी। विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की कीमत खरीदार द्वारा भुगतान किए जाने के बावजूद, लेनदेन मूल्य निर्धारित करने के लिए आयातित माल के मूल्य में उसका मूल्य जोड़ा जा सकता है। मौजूदा मामले में यह किसी का मामला नहीं है कि खरीदार ने आयातित वस्तुओं के निर्यात के लिए उत्पादन और बिक्री के संबंध में उपयोग के लिए किसी भी सामान या सेवाओं को मुफ्त या कम लागत पर आपूर्ति की थी। अनुबंध डीएम 301 की विषय वस्तु बनाने वाले दस्तावेजों की जांच करने में न्यायाधिकरण द्वारा की गई सभी कवायद, ताकि उन्हें इस फैसले में पहले बताई गई तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सके, अनावश्यक

थी। एसएनपी ने अपीलकर्ता के साथ लेन-देन होने से छह साल से अधिक समय पहले एक इतालवी आपूर्तिकर्ता से संपूर्ण इस्पात संयंत्र उपकरण खरीदा था। ऐसे दस्तावेज़ एसएनपी के इतालवी आपूर्तिकर्ता द्वारा एसएनपी को उपलब्ध कराए गए उपकरणों और सामग्रियों के साथ होने चाहिए। इसे समझा नहीं जा सकता है और निश्चित रूप से यह राजस्व का मामला नहीं है कि तकनीकी दस्तावेज़ इतालवी आपूर्तिकर्ता द्वारा एसएनपी को या तो अपीलकर्ता के कहने पर निःशुल्क प्रदान किए गए थे या उपलब्ध कराए गए थे या उसकी लागत पूरी तरह या आंशिक रूप से अपीलकर्ता द्वारा वहन की गई थी।

नियम 9 के उप-नियम (1) का खंड (ई) तब लागू होता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:-

(i) खरीदार द्वारा विक्रेता या किसी तीसरे पक्ष को आयातित माल की बिक्री की शर्त के रूप में वास्तव में कोई भुगतान किया गया है या किया जाना है;

(ii) ऐसा भुगतान, यदि किसी तीसरे पक्ष को किया गया है, विक्रेता के दायित्व को पूरा करने के लिए किया गया है या किया जाना है;

(iii) ऐसे भुगतान वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत में शामिल नहीं हैं।

यह किसी का मामला नहीं है कि विक्रेता का किसी तीसरे पक्ष के प्रति दायित्व था जिसे संतुष्ट करना आवश्यक था और खरीदार (यानी अपीलकर्ता) ने ऐसे दायित्व को पूरा करने के लिए विक्रेता या किसी तीसरे पक्ष को कोई भुगतान किया था। अनुबंध डीएम 301 की विषय वस्तु बनाने वाले चित्रों और तकनीकी दस्तावेजों के लिए अपीलकर्ता द्वारा भुगतान की गई कीमत किसी भी तरह से किसी तीसरे पक्ष के प्रति 'विक्रेता के दायित्व' के अर्थ में नहीं आ सकती है। आयातित माल की बिक्री की शर्त के रूप में कोई भुगतान भी नहीं किया गया था। इसलिए, नियम 9(1)(ई) की भी कोई प्रयोज्यता नहीं है।

जहां तक नियम 4 के व्याख्यात्मक नोट का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्याख्यात्मक नोट्स नियमों का हिस्सा हैं और इसलिए वैधानिक हैं। हालाँकि, प्रश्न उनकी प्रयोज्यता में से एक है। नियम 4 के व्याख्यात्मक नोट के जिस हिस्से पर न्यायाधिकरण ने भरोसा किया था, उसे नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसके साथ एक परंतुक भी है। इसका मतलब है कि खंड (ए), (बी) और (सी) में वर्णित शुल्क या लागत को प्रावधान की आवश्यकता को पूरा करने के अधीन आयातित माल के मूल्य में शामिल नहीं किया जाना है कि शुल्क वास्तव में भुगतान की गई कीमत या आयातित माल के लिए देय कीमत से अलग थे। व्याख्यात्मक नोट के इस भाग को इस प्रकार नहीं पढ़ा जा सकता कि

इसका मतलब यह लगे कि जो शुल्क उपधारा (ए) से (सी) में शामिल नहीं हैं, उन्हें आयातित वस्तुओं के मूल्य में शामिल किया जा सके। उदाहरण के लिए, यदि विक्रेता ने भारत में आयात के बाद मशीनरी को खड़ा करने या इकट्ठा करने का काम किया है और ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए कुछ शुल्क लगाया है तो उसके लिए भुगतान की गई कीमत माल के मूल्य में शामिल होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, यदि इसका भुगतान अलग से किया गया हो और आयातित वस्तुओं के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत से स्पष्ट रूप से भिन्न है। जाहिर है, इस व्याख्यात्मक नोट को किसी भी चित्र या तकनीकी दस्तावेज़ की कीमत की गणना के लिए सेवा में नहीं रखा जा सकता है, हालांकि उन्हें आयातित उपकरणों की कीमत में शामिल करके अलग से भुगतान किया जाता है। नियम 4 के नोट के तीसरे पैरा में खंड (ए) आयातित वस्तुओं के निर्माण, परिनिर्माण आदि के संबंध में विक्रेता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क का सुझाव देता है। दस्तावेज़ों और रेखाचित्रों आदि का मूल्य "निर्माण, परिनिर्माण, संयोजन आदि के लिए शुल्क" नहीं हो सकता।

वैकल्पिक रूप से, न्यायाधिकरण द्वारा इस नोट पर अपनाया गए दृष्टिकोण पर भी, आयातित वस्तुओं के निर्माण, परिनिर्माण, संयोजन, रखरखाव आदि के दौरान उपयोग के लिए खरीदार-आयातक को चित्र और

दस्तावेज प्रदान किए गए थे, वे आयात के बाद से अपीलकर्ता द्वारा की जाने वाली गतिविधि से संबंधित थे। इस तरह के शुल्क एक अलग अनुबंध, यानी अनुबंध एमडी 301 द्वारा कवर किए गए थे। उन्हें आयातित वस्तुओं के मूल्य में केवल इसलिए शामिल नहीं किया जा सकता था क्योंकि आयातित उपकरणों और सामग्रियों के लिए संदर्भित दस्तावेजों का मूल्य उन दस्तावेजों के मूल्य के साथ मिलाया गया था जो उन उपकरणों जो कि अपीलार्थी द्वारा अभी तक बनाए जाने थे, या उपार्जित करने थे या आयातित करने थे: दस्तावेजों की बाद वाली श्रेणी का मूल्य भी आयातित वस्तुओं के मूल्य के साथ न तो शुल्क योग्य है और न ही समायोजित करने योग्य है। न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता और एसएनपी के बीच हुए अनुबंधों की वास्तविकता पर संदेह नहीं किया है। बल्कि इसने अपने आदेश के पैरा 10.2 के माध्यम से देखा है कि दो अनुबंधों (एमडी 301 और एमडी 302) में जाना, एक कानूनी आवश्यकता थी। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा है कि वह 'तिरछी विभाजन' के किसी भी निष्कर्ष को दर्ज नहीं कर रहा है। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अशोक देसाई ने बताया है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय शीर्षक 49.06 के तहत इंजीनियरिंग और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए योजनाएं और चित्र मूल रूप से हाथ से तैयार किए जाते हैं और साथ ही सेंटाइज्ड कागजात और कार्बन प्रतियों पर उनके फोटोग्राफिक प्रतिकृतियां भी होती हैं। उन्हें सीमा शुल्क के भुगतान से मुक्त घोषित किया जाता है। नियम 9 के उप-नियम

(3) और (4) स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि यदि वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक डेटा के आधार पर वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत में वृद्धि नियमों के तहत स्वीकार्य है और नियम 9 द्वारा प्रदान किए गए को छोड़कर कोई भी वृद्धि स्वीकार्य नहीं है।

उपरोक्त कारण उस संरचना को ध्वस्त कर देते हैं, जिस पर न्यायाधिकरण का आदेश आधारित है। हालाँकि, अभी भी एकमात्र बात जिस पर विचार किया जाना बाकी है वह यह है कि क्या अनुबंध एमडी 302 के तहत कवर किए गए ब्लास्ट फर्नेस उपकरण का कम मूल्यांकन किया गया है। यह 'माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत' का पता लगाने का एक शुद्ध और सरल मामला है। -नियम 2(एफ), 4 और 9 में आने वाला वाक्यांश, ताकि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 और 14 के तहत लेनदेन मूल्य का पता लगाया जा सके और उस पर शुल्क लगाया जा सके। अपीलकर्ता को दिए गए कारण बताओ नोटिस में लगाए गए आरोपों में से एक यह था कि उपकरणों के मूल्य का एक हिस्सा इंजीनियरिंग दस्तावेजों और ड्राइंग के मूल्य में स्थानांतरित करके ब्लास्ट फर्नेस उपकरण (बीएफई) का कम मूल्य निर्धारण किया गया था। वस्तुतः कारण बताओ नोटिस में आरोप लगाया गया है कि ब्लास्ट फर्नेस उपकरण का तकनीकी दस्तावेजों के मूल्य को कृत्रिम रूप से बाहर करके कम मूल्यांकित किया गया है। राजस्व के अनुसार ऐसे दस्तावेज

अन्यथा और सामान्य तौर पर विक्रेता द्वारा खरीदार को आपूर्ति किए जाते हैं। ऐसे दस्तावेजों की अनुपस्थिति के कारण उपकरण के रूप में बेचे गए सामान का कोई उपयोग नहीं होगा, लेकिन अपीलकर्ता ने एकल सामग्री को दो दस्तावेजों में विभाजित करके एकल लेनदेन में इतनी हेराफेरी की कि ब्लास्ट फर्नेस उपकरणों के एक हिस्से को स्थानांतरित करके उसका मूल्य कम कर दिया गया। ऐसे उपकरणों का मूल्य इंजीनियरिंग दस्तावेजों और रेखाचित्रों के मूल्य से मेल खाता है। आरोप का सार ब्लास्ट फर्नेस उपकरण का कम मूल्यांकन है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री किरीट रावल ने प्रस्तुत किया है कि कारण बताओ नोटिस के चरण से लेकर न्यायाधिकरण के समक्ष राजस्व ने अपनी याचिका को क्रियाशील रखा है। अपने आदेश के पैरा 7 के माध्यम से न्यायाधिकरण ने राजस्व की इस दलील को नोट किया, लेकिन इस पर विचार नहीं किया क्योंकि न्यायाधिकरण ने अन्य निष्कर्षों के मद्देनजर इसे आवश्यक नहीं माना। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने निवेदन किया कि यदि यह न्यायालय न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार नहीं रख सकता है तो पूरी निष्पक्षता से राजस्व को कम मूल्यांकन की अपनी दलील को साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए, इसके बाद ऐसी अन्य राहत दी जानी चाहिए जिसके लिए वह अपने तर्क के सफल होने पर हकदार हो सकता है। हमें इस निवेदन पर गुण दिखते हैं। न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द किए जाने पर हमारी राय में मामले को राजस्व की उपरोक्त याचिका की गुण-

दोष के आधार पर जांच के लिए न्यायाधिकरण में वापस भेजने की जरूरत है, जिसे अनावश्यक पाए जाने के कारण पहले इस पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था।

अपील स्वीकार की जाती है। न्यायाधिकरण के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। मामले को राजस्व की याचिका पर विचार करने और जांच करने के लिए न्यायाधिकरण में वापस भेजा जाता है कि यदि रिकॉर्ड पर पहले से ही उपलब्ध सामग्री के आधार पर अनुबंध डीएम 302 का कम मूल्यांकन किया गया है। न्यायाधिकरण इस फैसले में की गई टिप्पणियों और दर्ज किए गए निष्कर्षों के अनुरूप इस आदेश के संचार की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर उसके समक्ष अपील की सुनवाई और निपटान करेगा।

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी को क्रियाशील रखा जाएगा और जमा की गई राशि भी न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय की तारीख तक जमा में बनी रहेगी, जिसके बाद बैंक गारंटी और जमा को न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार लगातार निपटाया जाएगा।

हालाँकि हमने न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया है और मामले को वापस भेजा है, हम कुछ बिंदु स्पष्ट करना चाहेंगे। अपीलकर्ता के अलावा, कंपनी के दो अधिकारी अर्थात् डॉ. जेजे ईरानी और श्री एसएल श्रीवास्तव और अपीलकर्ता के एक इंजीनियरिंग सलाहकार, अर्थात् मेसर्स

एमएम दस्तूर एंड कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और उन पर जुर्माना लगाया गया। न्यायाधिकरण द्वारा उन्हें बरी कर दिया गया। उपरोक्त तीनों को दोषमुक्त करने के आदेश के खिलाफ राजस्व अपील में नहीं आया है। रिमांड के इस आदेश से उन तीनों के खिलाफ कार्यवाही फिर से शुरू नहीं होगी। इसी तरह, न्यायाधिकरण ने माना है कि कम मूल्यांकन के बावजूद अपीलकर्ता की शुल्क देनदारी को उपकरण के मूल्य को 21.2747826086 मिलियन डीएम से अधिक की राशि पर आंककर फिर से निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह वह आंकड़ा था जो निर्णायक अधिकारी द्वारा पाया गया था और राजस्व द्वारा चुनौती नहीं दी गई। अपीलकर्ता पर लगाए गए जुर्माने की राशि न्यायाधिकरण द्वारा घटाकर 4 करोड़ रुपये कर दी गई थी, जिसे भी राजस्व द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। रिमांड के बाद मामले की सुनवाई पर यदि राजस्व की दलील को न्यायाधिकरण के पक्ष में पाया जा सकता है, तो उपकरण और सामग्रियों का शुल्कयोग्य मूल्य 21.2747826086 मिलियन डीएम से अधिक नहीं होगा और जुर्माने की राशि 4 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अशोक देसाई ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने अपने आदेश के पैरा 9 के माध्यम से यह भी माना है कि माल को जब्त करने का दायित्व उत्पन्न नहीं होता है और आदेश के उस हिस्से को भी अंतिम रूप से माना जाना चाहिए, जिस निवेदन से हम सहमत नहीं हैं। यदि न्यायाधिकरण अनुबंध डीएम 302 की विषय वस्तु

बनाने वाले उपकरणों को कम मूल्य का पाता है तो ऐसे निष्कर्षों से उत्पन्न होने वाले कानूनी परिणाम सामने आ सकते हैं। तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। अपील की अनुमति दी गई।

ए.क्यू.

अपील स्वीकार

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री जितेंद्र रैया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)